६. नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया । पाठ द्वारा हमें यह बोध हुआ कि भारतीय नागरिकों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं । यही नहीं अपितु हमने यह भी समझा कि इन अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण भी प्राप्त है । मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्त्व भी ध्यान में आया । इस पृष्ठभूमि में हम नीति निदेशक सिद्धांत किसे कहते हैं; इसे समझेंगे ।

मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं । निम्न सूची पढ़ो तो ध्यान में आएगा कि सरकार पर कौन-से बंधन लगे होते हैं । जैसे-

- सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे ।
- सभी कानून के समक्ष समान हैं तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है; इससे किसी को भी वंचित न रखे ।
- किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न लें ।
- धार्मिक कर लागू न करे ।

सरकार क्या करे; इस विषय में संविधान में कुछ निदेशों का उल्लेख प्राप्त है । इन निदेशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए है; उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले । अतः इन निदेशों को 'नीति निदेशक सिद्धांत' कहते हैं ।

नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया ?

देश स्वतंत्र हुआ; उस समय हमारे सामने सब से बड़ी चुनौती देश में कानून एवं व्यवस्था निर्माण करने और सुचारु रूप से प्रशासन चलाने की थी । दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता को दूर कर देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था । राष्ट्र निर्माण एवं विकास का कार्य करना था । इसके लिए नव-नवीन नीतियाँ तय करना और उनका कार्यान्वयन करना आवश्यक था । लोककल्याण के उद्देश्य को साध्य करना था । संक्षेप में, भारत का रूपांतर एक नए विकसित और उन्नत देश में करना था । इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोककल्याण हेतु कौन-सी उपाय योजनाएँ करनी चाहिए; यह संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है । इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया। प्रत्येक नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है । उस विषय के आनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे; यह अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ता ने व्यक्त की है । वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी । इसीलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निदेशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया । सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से उन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें; ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की ।

कुछ महत्त्वपूर्ण नीति निदेशक सिद्धांत :

- सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे । इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे ।
- स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे ।
- लोगों के स्वास्थ सुधार हेतु उपाय योजना करे।
- पर्यावरण की रक्षा करे ।
- राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों, वास्तुओं का संरक्षण करे ।

बताओ तो

वेतन के संदर्भ में 'समान काम के लिए समान वेतन' यह नीति निदेशक सिद्धांत है । इस सिद्धांत द्वारा संविधान के कौन-से उद्देश्य साध्य होंगे; ऐसा तुम्हें लगता है । स्त्री-पुरुष समान काम करते हैं; फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देने की घटनाएँ क्यों पाई जाती हैं ?

करके देखो

उपरोक्त नीति निदेशक सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य नीति निदेशक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार को लोककल्याण हेतु क्या करना चाहिए। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं । इस संदर्भ में कौन-सा नीति निदेशक सिद्धांत है; यह शिक्षक की सहायता से ढूँढ़ो ।

जैसे- विदेश नीति : विश्व शांति और पारस्परिक सौहार्द को प्राथमिकता

(अ) लड़कियों की शिक्षा .....

(ब) स्वस्थ और आनंदमय वातावरण में बच्चों का भरण-पोषण .....

(क) कृषि में सुधार .....

- समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करे तथा उनके लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा दे ।
- वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व, बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करे ।
- भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करे ।

नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो नीति निदेशक सिद्धांत लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं ।

तुम्हारे विचार में सरकार को विद्यार्थियों के लिए और अधिक क्या करना चाहिए ? तुम्हारी माँगें उचित और सही हैं; इसका विश्वास किस प्रकार दिलाओगे ?

तुम्हारी दृष्टि से सरकार द्वारा दी गईं निम्न सुविधाओं के कारण कौन-से सुधार होंगे;

(अ) सार्वजनिक स्वच्छतागृह

(ब) स्वच्छ जलापूर्ति

(क) शिशुओं का टीकाकरण

अर्थात सरकार ने किसी नीति निदेशक सिद्धांत का पालन अथवा कार्यान्वयन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते लेकिन विभिन्न स्रोतों से सरकार पर दबाव लाकर हम नीति निश्चित करने हेतु आग्रही बन सकते हैं ।

मौलिक कर्तव्य

लोकतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है । एक ओर उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ता है । अधिकारों का हनन नहीं होगा; इस बारे में सतर्क रहना पड़ता है तो दूसरी ओर कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी पूर्ण करने पड़ते हैं । सभी भारतीयों की उन्नति एवं कल्याण साध्य होने हेतु संविधान ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा अनेक प्रावधान किए हैं परंतु जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं करते; तब तक सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों का लाभ सभी को नहीं मिलता । जैसे-'स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित अनेक उपक्रम चलाए गए परंतु सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की अस्वच्छता और गंदगी निर्माण करने की आदतें बदलनी चाहिए । भारतीय नागरिकों को अपने दायित्वों का बोध हो; इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है । भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं :

- प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे।

संविधान में उल्लिखित आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करे ।

- स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों का पालन करे ।
- देश की संप्रभुता, एकता और अखंडितता को संरक्षित रखने हेतु प्रयत्नशील रहे ।
- अपने देश की रक्षा करे । देश की सेवा करे ।
- सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकात्मता में वृद्धि करे और बंधुता की भावना को वृद्धिंगत करे। उन प्रथाओं का त्याग करे जिनके कारण नारी की प्रतिष्ठा कम होती है ।
- हमारी मिली-जुली सांस्कृतिक विरासत का निर्वाह करे ।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे । समस्त सजीवों के प्रति दयाभाव रखे ।
- वैज्ञानिक दृष्टि, मानवतावाद और जिज्ञासावृत्ति को अंगीकृत करे ।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे । हिंसा का त्याग करे।
- देश की उत्तरोत्तर उन्नति होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठत्व पाने का प्रयास करे।
- ६ ते १४ वर्ष आयुवर्ग के अपने बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा दें ।

सूची बनाओ

- घर में तुम किन अधिकारों की माँग करते हो और कौन-से कर्तव्य पूर्ण करते हो ?
- विद्यालय में तुम कौन-कौन-से दायित्व पूर्ण करते हो ? वहाँ का कौन-सा दायित्व पूर्ण करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ?

स्मारक/वास्तु पर नाम उकेरता लड़का

टंगे हुए नीबू-मिर्च

बस की तोड़फोड़

सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकती महिला

तुम्हारे विचारानुसार इन चित्रों में किन कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है ?

उपर्युक्त संवादों द्‌वारा हमें किन-किन कर्तव्यों का बोध होता है ? क्या अधिकारों और कर्तव्यों के बीच कोई संबंध होता है ? तुम्हारे विचार में कर्तव्यों का पालन करने से क्या होता है।

तुम्हें क्या लगता है ?

६ से १४ वर्ष आयुवर्ग के लड़के-लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है । इस आयुवर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक है । फिर भी अनेक कारणों से लड़के -लड़कियाँ विद्यालय में जा नहीं पाते । उन्हें अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करना पड़ता है । ऐसे लड़के-लड़कियों को विद्यालय में ले आने का आग्रह करना उनपर अन्याय होगा; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ?

इस पाठ्यपुस्तक के प्रारंभिक पाठों में हमारा भारतीय संविधान के उद्देश्यों और विशेषताओं से परिचय हुआ । भारतीय नागरिकों के अधिकार, उन अधिकारों को प्राप्त संरक्षण का भी हमने विचार किया। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन-से हैं; इसे भी हमने समझा । अगले वर्ष हम हमारे देश का शासन कैसे चलाया जाता है; इसका अध्ययन करेंगे ।

7EQK85

स्वाध्याय

१. सरकार पर कौन-से बंधन होते हैं; इसकी निम्न चौखट में तालिका बनाओ ।

- _____
- _____
- _____

२. निम्न कथनों को पढ़ो और 'जी हाँ'/'जी नहीं' में उत्तर लिखो :

(१) समाचारपत्र में दिए गए नौकरी के विज्ञापन में महिला और पुरुष के लिए पद होते हैं .....

(२) एक ही कारखाने में एक ही प्रकार का काम करनेवाले स्त्री-पुरुष को अलग-अलग वेतन मिलता है ...

(३) स्वास्थ्य सुधार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती हैं .....

(४) राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्मारकों वास्तुओं का संरक्षण करना चाहिए .....

३. क्यों, यह बताओ :

(१) ऐतिहासिक वास्तुओं, भवनों, स्मारकों का संरक्षण करना ।

(२) वृद्धों के लिए पेन्शन योजना चलाई जाती है ।

(३) ६ से १४ आयुवर्ग के बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया है ।

४. उचित अथवा अनुचित; यह बताओ । अनुचित कथन को सुधारो ।

(१) राष्ट्रध्वज को जमीन पर गिरने न देना ।

(२) राष्ट्रगीत जब चल रहा हो; उस समय सावधान की स्थिति में खड़ा रहना ।

(३) हमारे ऐतिहासिक स्मारक/वास्तु पर अपना नाम लिखना/उकेरना ।

(४) समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देना ।

(५) सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना ।

५. लेखन करो :

(१) संविधान के कुछ नीति निदेशक सिद्धांत पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं; वे कौन-से हैं ?

(२) भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून का प्रावधान क्यों किया होगा ?

(३) नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; ऐसा क्यों कहा जाता है ?

६. नागरिक पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं; उदाहरणसहित लिखो ।

उपक्रम

(१) शिक्षा हमारा अधिकार है; लेकिन उस संदर्भ में हमारे कर्तव्य कौन-से हैं; इसपर समूह में विचार-विमर्श करो ।

(२) राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वास्तुओं, स्मारकों का संवर्धन करने हेतु राज्य सरकार उपाय करे; ऐसा नीति निदेशक सिद्धांत है । किलों/गढ़ों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने क्या किया है; वह ढूँढ़ो और सूची बनाओ ।

(३) बालकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार कौन-सी योजनाएँ चलाती है; इस विषय में जानकारी प्राप्त करो ।

कालखंड - ८ वीं शताब्दी से १९ वीं शताब्दी
प्रमुख घटनाओं का अवलोकन

घटनाक्रम को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते जाएँ ।

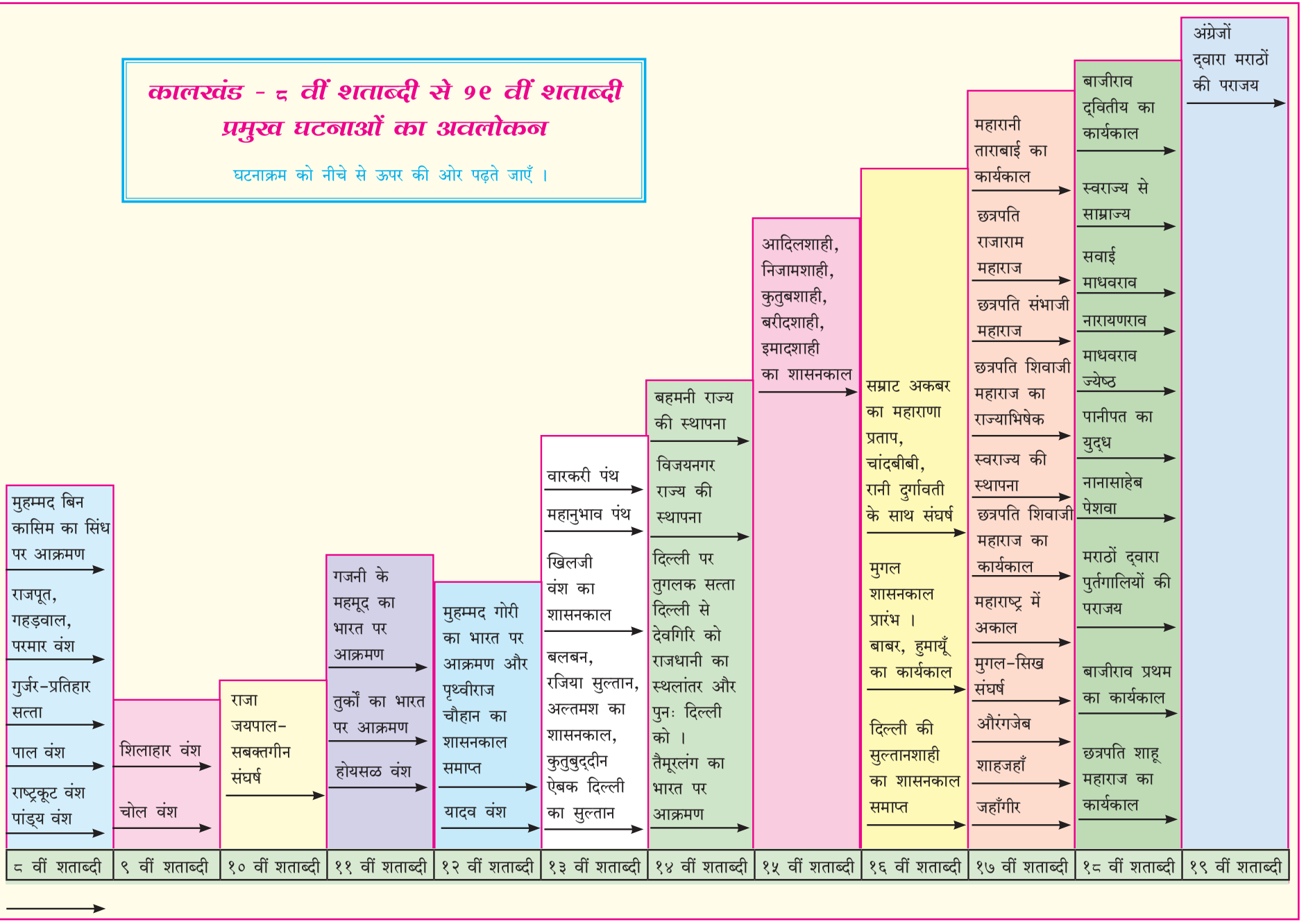

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

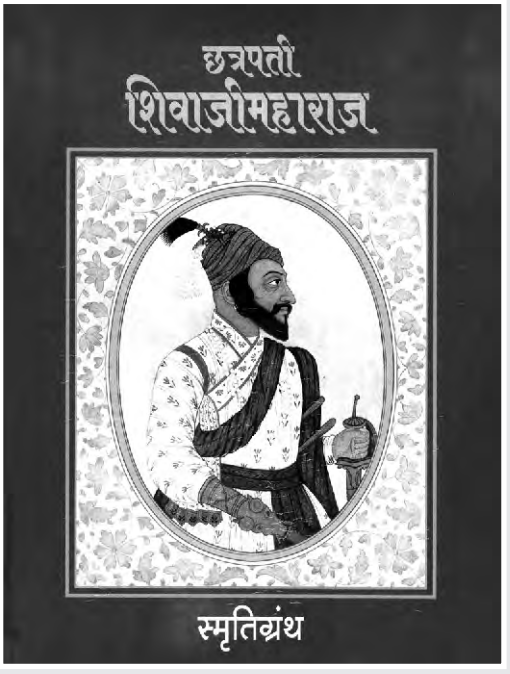

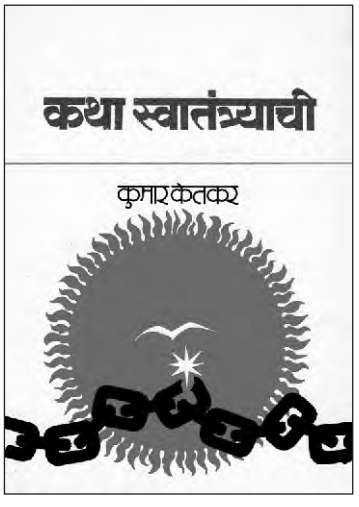

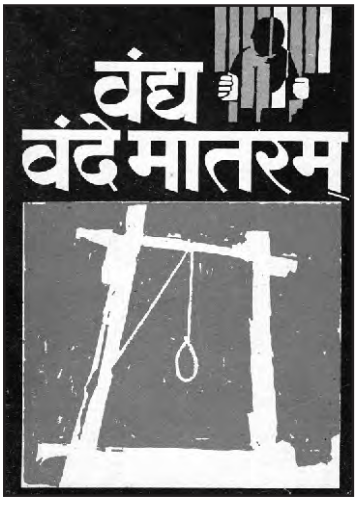

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in **संकेतस्थळावर भेट द्या.**

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

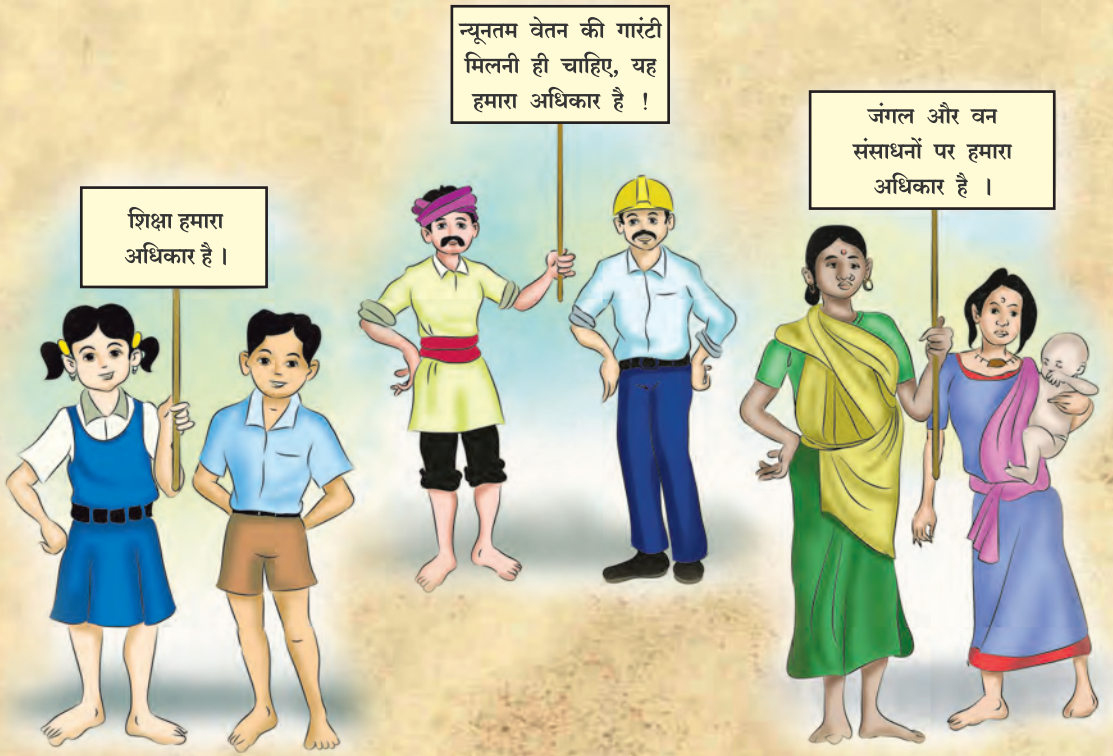

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
इतिहास व नागरिकशास्त्र इ. ७ वी (हिंदी माध्यम)
₹ 40.00